संख्या–08 /2025/001-14-24-1-2025-767 BUDGET -2022

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र 0शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रीष्मकाल हेतु प्रदेश में अनवतर विद्युत आपूर्ति हेतु ऊर्जा विभाग के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक)वित्त(, उ के पत्र 0पावर कारपोरेशन लि 0प्र0संख्या-1140/अधि0नि0(वित्त0प्र0वि/(-2/आय-व्ययक2024 -25/453, दिनांक 30दिसम्बर, 2024के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024- में ऊर्जा 25विभाग के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801-05-190-19- में अंशपूॅजी के रूप में 30ग्रीष्मकाल)माह अप्रैल, 2024 से सितम्बर, 2024तकमें प्रदेश में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु मूल बजट एवं पुनर्विनियोग तथा द्वितीय (अनुपूरक बजट केमाध्यम से प्राविधानित कुल धनराशि रूपये 4755,18,00,000/- (रूपये चार हजार सात सौ पचपन करोड़ अठारह लाख मात्र के सापेक्ष अवशेष द्वितीय अनुपूरक बजट के (माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 525,18,00,000/- (रूपये पॉच सौ पच्चीस करोड़ अठारह लाख मात्रको आहरित किये (जानेे की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्ते प्रतिबन्धों /</u>

1)) उक्त प्रस्तर- में 1स्वीकृत धनराशि का आहरण माह जनवरी, 2025से माह फरवरी, 2025तक प्रतिमाह धनराशि रूपये 262,59,00,000/- (रूपये दो सौ बासठ करोड़ उनसठ लाख मात्र की दो (समान मासिक किशतो में किया जायेगा।

)2 (उक्त प्रस्तर- 1में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

)3(उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जीशुद्ध पत्र/ संख्या-426, दिनांक जुलाई 13, 1971द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

)4 (प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समयसमय पर- व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार-, उत्तर प्रदेश, लखनऊ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा/वित्त विभाग समाज/कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

)5(प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

)6 (इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक)वित्त(, उपावर कारपोरेशन 0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। 0लि

)7 (उपरोक्त स्वीकृत धनराशि की किश्त के व्यय विवरण उपयोगिता प्रमाणपत्र सहित अगली- किश्त का मांग पत्र देय तिथि से तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,25,18,00, 000(रुपये पाँच अरब पच्चीस करोड़ अठारह लाख मात्र (को चालू वित्तीय वर्ष 2024- 009 व्ययक मे अनुदान संख्या-के आय 2025लेखा शीर्षक 48010519019 00ग्रीष्मकाल ,माह अप्रैल)2024 से सितम्बर ,2024 तक में (प्रदेश में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु अंशपूंजी मानक मद 30निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-101-X-2024-25-दिनांक: 16-1-मे प्राप्त वित्त 2025 विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या-08/2025/001-14(1)-24-1-2025-767 BUDGET -2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (लेखापरीक्षा -।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।